संशोधित

उत्तराखण्ड शासन
ऊर्जा अनुभाग–1
संख्या– /I/2018-05/14/2009
देहरादून : दिनांक : 26 सितम्बर, 2018

अधिसूचना

एतद्द्वारा उत्तराखण्ड सौर ऊर्जा नीति–2013 के प्रस्तर–28 के प्राविधानों में निहित व्यवस्था के आलोक में, इस नीति में निम्न तालिका के अनुसार स्तम्भ–1 में उल्लिखित नियमों के स्थान पर स्तम्भ–2 में उल्लिखित नियमों को प्रतिस्थापित किये जाने की स्वीकृति राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

क्रमांक	"उत्तराखण्ड सौर ऊर्जा नीति–2013" वर्तमान नियम	"उत्तराखण्ड सौर ऊर्जा नीति–2013" पुनरीक्षित नियम
	स्तम्भ–1	स्तम्भ–2
नीति के उद्देश्य	• कोयला, गैस और तेल जैसे ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों पर निर्भरता कम कर सौर ऊर्जा के उपयोग द्वारा हरित व स्वच्छ ऊर्जा का प्रोन्नयन; • वर्ष 2017 तक 500 मेगावॉट सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का लक्ष्य; • राज्य में रोज़गार के प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष अवसर उत्पन्न करना; • नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में निवेशकों की संबद्धता हेतु सहायक परिस्थितियों का सृजन; • सौर ऊर्जा स्रोत के उपयोग में वृद्धि करना ताकि पर्यावरणीय प्रदूषण के न्यूनीकरण में सहायता मिले।	• कोयला, गैस और तेल जैसे ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों पर निर्भरता कम कर सौर ऊर्जा के उपयोग द्वारा हरित व स्वच्छ ऊर्जा का प्रोन्नयन; • **विलोपित।** • राज्य **के पर्वतीय क्षेत्रों में पलायन को रोकने के साथ–साथ** रोज़गार के प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष अवसर उत्पन्न करना; • नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में निवेशकों की संबद्धता हेतु सहायक परिस्थितियों का सृजन; • सौर ऊर्जा स्रोत के उपयोग में वृद्धि करना ताकि पर्यावरणीय प्रदूषण के न्यूनीकरण में सहायता मिले।
7.	योग्य यूनिटें :–	योग्य यूनिटें :–
	इस नीति के अधीन सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करने के लिये सभी पंजीकृत कंपनियां, फर्म्स, संस्थाएं, सोसायटीज़, केन्द्र व राज्य सरकार ऊर्जा उत्पादन कंपनियां और सार्वजनिक/निजी क्षेत्र सौर ऊर्जा परियोजना विकासकर्ता योग्य होंगे।	इस नीति के अधीन सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करने के लिये सभी पंजीकृत कंपनियां, फर्म्स, संस्थाएं, सोसायटीज़, केन्द्र व राज्य सरकार ऊर्जा उत्पादन कंपनियां और सार्वजनिक/निजी क्षेत्र सौर ऊर्जा परियोजना विकासकर्ता योग्य होंगे। **उक्त के अतिरिक्त राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में 05 मेगावॉट क्षमता तक की सौर ऊर्जा परियोजनाऐं उत्तराखण्ड राज्य के स्थायी निवासियों के**

			आवंटन हेतु उपलब्ध होंगी।		
प्रस्तर–8	सौर ऊर्जा विकासकर्ताओं का चयन :–		8.	सौर ऊर्जा विकासकर्ताओं का चयन :–	
	(क)	प्रकार एक परियोजनाएं :– उत्तराखण्ड सरकार यहां के डिस्कॉम को विद्युत की सीधी बिक्री के लिये सौर ऊर्जा परियोजना की स्थापना को प्रोन्नत करेगी। इस श्रेणी के अधीन परियोजनाओं की कुल क्षमता समय–समय पर यूईआरसी द्वारा विनिर्दिष्ट आरपीओ लक्ष्य या उत्तराखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित किये अनुसार होगी। उत्तराखण्ड सरकार/उरेडा शुल्क आधारित प्रतियोगी बोली प्रक्रिया के द्वारा सौर ऊर्जा परियोजना के चयन हेतु समय–समय पर प्रस्ताव आमंत्रित करेंगे। सौर परियोजना के भावी विकासकर्ता हेतु उत्तराखण्ड सरकार/उरेडा द्वारा नियत योग्यता मानदंडों का एक सैट होगा। इस नीति के अधीन प्रोत्साहनों के लिये केवल उत्तराखण्ड राज्य में संस्थापित की जाने वाली परियोजना क्षमताएं ही योग्य होंगी।	(क)	प्रकार एक परियोजनाएं :– उत्तराखण्ड सरकार यहां के डिस्कॉम को विद्युत की सीधी बिक्री के लिये सौर ऊर्जा परियोजना की स्थापना को प्रोन्नत करेगी। इस श्रेणी के अधीन परियोजनाओं की कुल क्षमता समय समय पर यूईआरसी द्वारा विनिर्दिष्ट आरपीओ लक्ष्य या उत्तराखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित किये अनुसार होगी। उत्तराखण्ड सरकार/उरेडा शुल्क आधारित प्रतियोगी बोली प्रक्रिया के द्वारा सौर ऊर्जा परियोजना के चयन हेतु समय समय पर प्रस्ताव आमंत्रित करेंगे। सौर परियोजना के भावी विकासकर्ता हेतु उत्तराखण्ड सरकार/उरेडा द्वारा नियत योग्यता मानदंडों का एक सैट होगा। इस नीति के अधीन प्रोत्साहनों के लिये केवल उत्तराखण्ड राज्य में संस्थापित की जाने वाली परियोजना क्षमताएं ही योग्य होंगी। **राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में 05 मेगावॉट क्षमता तक की सौर ऊर्जा परियोजनाऐं उत्तराखण्ड राज्य के स्थायी निवासियों के आवंटन हेतु उपलब्ध होंगी।**
प्रस्तर–9	भूमि की आवश्यकता :–		9.	भूमि की आवश्यकता :–	
	(ख)	भूमि का चिन्हीकरण :–	(ख)	भूमि का चिन्हीकरण :–	
	(एक)	विकासकर्ता उत्तराखण्ड राज्य के भीतर अपनी परियोजना हेतु कोई उपयुक्त भूमि चिन्हित करेंगे।	(एक)	विकासकर्ता उत्तराखण्ड राज्य के भीतर अपनी परियोजना हेतु कोई उपयुक्त भूमि चिन्हित करेंगे।	
	(दो)	यदि विकासकर्ता अपनी परियोजना हेतु निजी भूमि क्रय करते हैं तो वे स्टैम्प ड्यूटी पर 50 प्रतिशत छूट के लिये योग्य होंगे तथा यदि वे इस निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत इस भूमि पर सौर परियोजना संस्थापित नहीं करते हैं तो दी गयी छूट वापस ले ली जायेगी और प्रक्रिया	(दो)	**चूंकि राज्य में प्रभावी उत्तराखण्ड सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग नीति, 2015 (यथासंशोधित) में गैर पारम्परिक एवं नवीकरणीय तरीकों से ऊर्जा उत्पादन एवं तत्सम्बन्धी उपकरणों के निर्माण को सम्मिलित किया गया है। अतः इस नीति के अन्तर्गत स्थापित होने वाली परियोजनाओं के लिये उत्तराखण्ड सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग नीति,**	

		अनुसार वसूली की जायेगी।		**2015 (यथासंशोधित) में प्रदत्त सुविधायें अनुमन्य होंगी।**
	(तीन)	यदि विकासकर्ता द्वारा इस नीति के अन्तर्गत सौर ऊर्जा परियोजना की स्थापना हेतु कृषि भूमि का उपयोग किया जा रहा है तो ऐसे विकासकर्ताओं को भूमि के सापेक्ष रूपांतरण दर (यदि कोई हो) के भुगतान से मुक्त रखा जायेगा	(तीन)	**विलोपित।**
<u>प्रस्तर–27</u>	<u>(I)</u>	<u>अन्य सुविधायें</u> :– सभी सौर ऊर्जा उपकरण, अनुप्रयुक्त उत्पाद और सौर उपकरण से संबंधित मदों को प्रवेश शुल्क तथा वैट से छूट प्राप्त होगी।	<u>(I)</u>	**विलोपित।**

राज्य में सौर ऊर्जा के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देश/नीतियों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

उपरोक्त संशोधित अधिसूचना में निहित नीति के उद्देश्य, बिन्दु सं0–07, 8(क), 9(ख)(दो), 9(ख)(तीन) तथा 27(i) में उल्लिखित नियमों में संशोधनों के अतिरिक्त शेष नियम अधिसूचना सं0–1044/I/2013-5/14/2009 दि0–27–06–2013 तथा संशोधित अधिसूचना सं0–1050/I/2015-5/14/2009 दि0–01–10–2015 के अन्य सभी प्राविधान यथावत् मान्य होंगे।

उक्त संशोधित अधिसूचना तत्काल प्रवृत्त समझी जायेगी।

ह0/—
(राधिका झा)
सचिव।

संख्या– 1073 /I/2018-5/14/2009, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. प्रमुख निजी सचिव–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव, मुख्मयंत्री को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
4. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. आयुक्त, गढ़वाल/कुमाऊँ, उत्तराखण्ड।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. सचिव, उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग, देहरादून।
8. सचिव समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
9. निदेशक, उरेडा, देहरादून।
10. प्रबन्ध निदेशक, यूजेवीएन लि0/उपाकालि/पिटकुल, देहरादून।
11. निदेशक, राजकीय फोटो लीथो प्रैस, रूड़की को इस अनुरोध के साथ कि इसे गजट के आगामी अंक में प्रकाशित कर 50 मुद्रित प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
12. प्रभारी, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(प्रकाश चन्द्र जोशी)
उप सचिव।